ई-1839291

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20-08-2024

विषयः- जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-24317/सामा-1(5)/57/गाजीपुर/2024, दिनांक 09-08-2024 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित विचाराधीन बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	विचाराधीन बन्दियों के नाम/पिता के नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम, जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
01	अफरोज खां उर्फ चुन्नू पुत्र स्व0 फारूख खां	जिला कारागार, गाजीपुर	केन्द्रीय कारागार, बरेली
02	मो0 शाहिद पुत्र श्री कुर्बान अली	जिला कारागार, गाजीपुर	केन्द्रीय कारागार, आगरा
03	सुरेन्द्र शर्मा ड्राइवर पुत्र श्री इन्द्रासन	जिला कारागार, गाजीपुर	जिला कारागार, बुलन्दशहर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर/बरेली/आगरा/बुलन्दशहर।

5- पुलिस आयुक्त, आगरा/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर/बरेली/बुलन्दशहर।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली/आगरा/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर/बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों के कॉलम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in